

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 24 / 2023

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

1. नारायणदास पुत्र मनसुखदास जाति माली निवासी प्रताप जी की प्रोल, जिला बाड़मेर (मैसर्स श्री भारत दूध डेयरी, प्रताप जी की प्रोल, बाड़मेर का विक्रेता)
2. भुवनेश कुमार पुत्र नारायण दास जाति माली निवासी प्रताप जी की प्रोल, जिला बाड़मेर (मैसर्स श्री भारत दूध डेयरी, प्रताप जी की प्रोल, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक 09.03.2023 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स श्री भारत दूध डेयरी, प्रताप जी की प्रोल, बाड़मेर में निरीक्षण के दौरान पर एक डीप फ्रीजर में प्लास्टिक के केन में लगभग 10 लीटर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ दही (गाय के दूध से बना) भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 800 ग्राम दही (गाय के दूध से बना) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1895 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दही (गाय के दूध से



बना) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही (गाय के दूध से बना) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 20.03.2023 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 3.2% के मुकाबले 0.18% एवं Milk solids not fat मानक स्तर न्यूनतम 8.3% के मुकाबले 6.32% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अत्यन्त कम है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहित अधिकारी एवं इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि जुर्म की मौन स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उनके प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है किन्तु अप्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहकर इस दायित्व से विमुख होने का प्रयास किया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।



खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 24/2023/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नारायणदास

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर